



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अनुप

2

No 03

01/03/11


पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण	
ई पंजीकरण संख्या	MP179132016A1116424
पंजीकरण की तिथि	01/03/2016
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिंट करने की तिथि	02/03/2016
संपत्ति का मूल्य(यदि लागू है)	--
पंजीयन शुल्क (रूपये)	1000
कुल स्टाम्प शुल्क (रूपये)	10000
उप पंजीयक का नाम	sunil chaturvedi
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 2

आम डीड के लिए

नाम	शौनक घोड़के
पिता/पति का नाम	सुधीर घोड़के
पता	एन-56, अनूप नगर, इन्दौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत
मालिक का नाम	ज्योति पति शौनक घोड़के
पिता/पति का नाम	--
पता	एन-56, अनूप नगर, इन्दौर
मालिक का नाम	मनीषा पति संदीप मानुधने
पिता/पति का नाम	--
पता	एफ.एफ.-26, योजना क्रमांक 54, इन्दौर
मालिक का नाम	झेलम पति रजनीश खरे प्रभीला पति सुधीर घोड़के
पिता/पति का नाम	--
पता	एन-56, अनूप नगर, इन्दौर एवं एफ.एफ.-26, योजना क्रमांक 54, इन्दौर
नाम	विपिन कंधारी
पिता/पति का नाम	श्री नरेन्द्र कंधारी
पता	एन-20, साकेत नगर, इन्दौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed
by CHATURVEDI
SUNIL
Date: 2016.03.02
14:38:58 IST




EX-10

11



MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS






रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश


नाम नरेन्द्र कंधारी
पिता/पति का नाम श्री रूपचंदजी कंधारी
पता एन-20, साकेत नगर, इन्दौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत




संगठन का नाम जे के बिल्डकॉन
अधिकृत व्यक्ति का नाम श्री विपिन
पता सी.एस. नायडू, पलासिया, इन्दौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत



Shreeji


उप पंजीयक के हस्ताक्षर







रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01011701032016005285	
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	10000	
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	10000	नगर पालिका ड्यूटी (रुपए) 0
जनपद ड्यूटी (रुपए)	0	उपकर राशि (रुपए) 0
छूट दी गई राशि (रुपए)	0	
ई स्टाम्प का प्रकार	गैर न्यायिक	
निर्गमन तिथि एवं समय	01/03/2016 02:03:01 PM	
यूजर आईडी / जारीकर्ता	Sanjay Laddha/SP011743206201500884	
एस पी / एस आर ओ / डी आर ओ / एच ओ विवरण	L.G.-7, ORBIT MALL, SCH. NO. 54, A.B. ROAD, INDORE इन्दौर इंदौर	

डीड विवरण

विलेख का प्रकार	मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 2000 (क्रमांक 15 सन् 2001) के अधीन
लिखत	घोषणा मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 2000 (क्रमांक 15 सन् 2001) के अधीन.- दस हजार रूपए.
विवरण	Declaration



पहले पक्ष के विवरण

नाम	नरेन्द्र कंधारी
पता	एन-20, साकेत नगर, इन्दौर
व्यक्तियों की संख्या	3


दूसरे पक्ष के विवरण

संगठन का नाम	जे के बिल्डकॉन
पता	सी.एस. नायडू, पलासिया, इन्दौर
व्यक्तियों की संख्या	1

मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ सह स्वामित्व अधिनियम सन् 2000 की धारा 2 के अंतर्गत घोषणा पत्र



MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ सह स्वामित्व अधिनियम सन् 2000 की धारा 2 के अंतर्गत ब्लॉक Aristocrat, Emphasis & Eminent के संबंध में घोषणा पत्र

यह कि, घोषणाकर्ता (1) शौनक पिता सुधीर घोड़के, (2) श्रीमती ज्योति पति शौनक घोड़के, निवासी: एफ.एफ.-26, योजना क्रमांक 54, इन्दौर, (3) श्रीमती मनीषा पति संदीप मानुधने, निवासी: डांडिया बाजार, बड़ौदा (4) श्रीमती झेलम पति रजनीश खरे (पिता श्री सुधीर घोड़के), निवासी: एन-56, अनूप नगर, इन्दौर (5) श्रीमती प्रमीला पति सुधीर घोड़के, निवासी: एफ.एफ.-26, योजना क्रमांक 54, इन्दौर (6) नरेन्द्र पिता श्री रूपचंदजी कंधारी, (7) विपिन पिता श्री नरेन्द्र कंधारी, दोनों निवासी: एन-20, साकेत नगर, इन्दौर (क्रमांक 01 स्वयं व क्रमांक 02 से लगाकर 05 की ओर से आम मुखत्यार) (जिन्हें इस लेख में आगे सुविधा की दृष्टि से "भूमि-स्वामी" के नाम से संबोधित किया गया है) एवं मेसर्स जे.के. बिल्डकॉन, पता: सी.एस. नायडू, पलासिया, इन्दौर तर्फे भागीदार श्री विपिन पिता श्री नरेन्द्र कंधारी (जिन्हें इस लेख में आगे सुविधा की दृष्टि से "भवन निर्माता" के नाम से संबोधित किया गया है) एतद् द्वारा यह कथन करते हैं कि:-

(1) यह कि, घोषणाकर्ता भूमि स्वामी के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम भिचौली मर्दाना तहसील व जिला इन्दौर के पटवारी हल्का नंबर 25 में स्थित भूमियाँ है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.--संपत्ति स्वामी---सर्वे नं.---क्षेत्रफल वर्गमीटर---


1 ज्योति पति शौनक घोड़के
15/3/3--- 1200 वर्गमीटर
15/4/4(पार्ट)--- 420 वर्गमीटर

2 झेलम पिता सुधीर घोड़के (पति रजनीश खरे)
15/3/2--- 1200 वर्गमीटर
15/4/6--- 460 वर्गमीटर
81/1/3--- 1040 वर्गमीटर

3 शौनक पिता सुधीर घोड़के एवं झेलम पति रजनीश खरे
15/4/3--- 470 वर्गमीटर

4 मनीषा पति संदीप मानुधने
15/3/1--- 1200 वर्गमीटर

5 प्रमीला पति सुधीर घोड़के
15/4/2--- 470 वर्गमीटर





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

प्रस्तुति मुद्रा :

शौनक घोड़के

पुत्र/आत्मज सुधीर घोड़के



Shouank



विपिन कंधारी

पुत्र/आत्मज श्री नरेन्द्र कंधारी



Vipin



नरेन्द्र कंधारी

पुत्र/आत्मज श्री रूपचंदजी कंधारी



Narendra



जे के बिल्डकॉन

प्रतिनिधित्व:- श्री विपिन





Vipin



के द्वारा उप जिला इन्दौर गिला इंदौर के उप गंजीयक कार्यालय में तारीख 01/03/2016 को मध्यान्ह पूर्व/मध्यान्ह पश्चात
01:48:34 बजे पस्तुत किया गया।

Sunil

sunil chaturvedi
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 2





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

15/3/4--- 160 वर्गमीटर

6 प्रमीला पति सुधीर घोड़के व मनीषा पति संदीप मानुधने
15/4/5(पार्ट)---460 वर्गमीटर

7 श्री नरेन्द्र कंधारी
15/4/5/2 व 81/1/4/2---560 वर्गमीटर


8 श्री विपिन कंधारी
15/4/4 --- 460 वर्गमीटर

योग- 8100 वर्गमीटर

उपरोक्त वर्णित भूमि को इस लेख में आगे संक्षिप्त में "उक्त भूमि" कहा गया है। उक्त भूमि को घोषणाकर्ता भूमि स्वामि ने अलग-अलग पंजीकृत विक्रय पत्रों के द्वारा क्रय की है तथा राजस्व विभाग में घोषणाकर्ता भूमि स्वामि के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि का ले-आउट प्लान कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर से उनके पत्र क्रमांक 792/14 दिनांक 03.01.2015 के द्वारा स्वीकृत करवाया गया है एवं भूमि का व्यपवर्तन अलग-अलग भागों में श्रीमान् न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 316/अ-2/08-09 पारित आदेश दिनांक 27.07.2009, 291/अ-2/06-07 पारित आदेश दिनांक 05.11.2007, 318/अ-2/08-09 पारित आदेश दिनांक 27.07.2009, 317/अ-2/08-09 पारित आदेश दिनांक 27.07.2009, 25/अ-2/04-05 पारित आदेश दिनांक 12.10.2004, 139/अ-2/09-10 पारित आदेश दिनांक 25.02.2010, 255/अ-2/04-05 पारित आदेश दिनांक 04.03.2005 के द्वारा किए गए हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि का कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर से उनके पत्र क्रमांक 792/14 दिनांक 03.01.2015 के द्वारा स्थल अनुमोदन किया गया है। उक्त भूमि की चतुःसीमा निम्नानुसार है :-

पूर्व में :: अन्य की भूमि
पश्चिम में :: अन्य की भूमि
उत्तर में :: अन्य की भूमि
दक्षिण में :: सर्वे नंबर 81/1/3 एवं 15/3/4 की भूमि

उपरोक्त वर्णित भूमि अर्थात् ग्राम भिचौली मर्दाना तहसील व जिला इन्दौर में स्थित सर्वे नंबर 15/3/3, 15/4/4(पार्ट), 15/3/2, 15/4/6, 15/4/3, 15/3/1, 15/4/2, 15/4/5(पार्ट), 15/4/5/2, 81/1/4/2 एवं 15/4/4 कुल रकबा 6900 वर्गमीटर व्यपवर्तित भूमि पर भवन निर्माण करने हेतु घोषणाकर्ता भूमि स्वामि एवं घोषणाकर्ता भवन निर्माता के मध्य दिनांक 02-02-2015 को अनुबंध लेख पंजीबद्ध किया गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1अ/2546 है एवं इसी प्रकार सर्वे नंबर 81/1/3 &







रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

निष्पादन की मुद्रा :

शौनक घोड़के	पुत्र/आत्मज सुधीर घोड़के	पता: एन-56, अनूप नगर, इन्दौर
विपिन कंधारी	पुत्र/आत्मज श्री नरेन्द्र कंधारी	पता: एन-20, साकेत नगर, इन्दौर
नरेन्द्र कंधारी	पुत्र/आत्मज श्री रूपचंदजी कंधारी	पता: एन-20, साकेत नगर, इन्दौर
जे के बिल्डकॉन	प्रतिनिधित्व:- श्री विपिन	पता: सी.एस. नायडू, पलासिया, इन्दौर

स्वीकार करते हैं कि कथित मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 2000 (क्रमांक 15 सन् 2001) के अधीन विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूर्ण रूप 0 प्राप्त हो गये हैं तथा रूप 0 उन्हें मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम रूप 0 बच गयी है, जो पंजीगन के बाद प्राप्त होगी । तारीख 01/03/2016

sunil chaturvedi
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 2





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

15/3/4 रकबा 1200 वर्गमीटर व्यपवर्तित भूमि पर भवन निर्माण करने हेतु घोषणाकर्ता भूमि स्वामि एवं घोषणाकर्ता भवन निर्माता के मध्य दिनांक 09-03-2015 को अनुबंध लेख पंजीबद्ध किया गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1अ/2968 है।


(2) यह कि चरण क्रमांक 01 में वर्णित भूमि रकबा 8100 वर्गमीटर के संबंध में इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर से स्वीकृत मानचित्र दिनांक 25.05.2015 को किया गया है, जिसका दाखला क्रमांक 1646 है, जिस अनुसार घोषणाकर्ता भवन निर्माता द्वारा बहुमंजिला भवन "शिवनेरी साहिल एम्पाय" का निर्माण किया जा रहा है। उक्त भवन में से ब्लॉक Aristocrat, Emphasis & Eminent के संबंध में घोषणाकर्ता मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 की धारा 2 के अंतर्गत यह लेख निष्पादित कर रहे हैं:-

(3) यह कि, उक्त भवन में ब्लॉक Aristocrat, Emphasis (डूपलेक्स) जिसमें लोअर एवं अपर ग्राउण्ड फ्लोर पर पार्किंग, प्रथम मंजिल, तृतीय मंजिल, पांचवी मंजिल, सातवी मंजिल व नौवी मंजिल एवं ब्लॉक Eminent जिसमें लोअर एवं अपर ग्राउण्ड फ्लोर पर पार्किंग, प्रथम मंजिल, द्वितीय मंजिल, तृतीय मंजिल, चतुर्थ मंजिल पांचवी मंजिल, छठी मंजिल, सातवी मंजिल, आठवी मंजिल, नौवी मंजिल एवं दसवी मंजिल हैं, सभी मंजिलों का स्वीकृत नक्शे अनुसार उपयोग आवासीय सुविधाओं के लिये किया जावेगा। उक्त मंजिल का अलग-अलग भागों में प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि उनका अपना एक ऐसा निर्गम मार्ग है, जहां से भवन के सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधा से पहुंचा जा सकता है और प्रत्येक प्रकोष्ठ एक या एक से अधिक स्वामियों के सुविधानुसार अलग-अलग भागों में बचे जाएंगे और उसमें प्रत्येक स्वामियों को उसका विशिष्ट तथा अन्य संपत्ति अधिकार, अधिप्राप्ति तथा प्रत्येक प्रकोष्ठ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवासीय" इकाई के रूप में निर्दिष्ट किया गया है)। राज्य के तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि की अर्थान्तर्गत दाय योग्य तथा हस्तांतरणीय स्थावर संपत्ति होगा। इस लेख के साथ भवन के चढाव, पैसेज एवं भवन की पानी की मोटर, बोरिंग, पानी की टंकी इत्यादि समस्त प्रकोष्ठ होल्डर के सामुहिक उपयोग एवं उपभोग हेतु रहेंगे, जिनका मेन्टेनेंस सभी प्रकोष्ठधारी सामुहिक रूप से करेंगे। निर्वन्धित सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाओं पर समस्त आवासीय इकाईयों को अभिजात हित भी अभिप्राप्त होगा और उपर्युक्त सभी बातें मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के अनुसार होगी, इस अधिनियम की प्रत्येक शर्त उपरोक्त भवन की प्रत्येक शर्त उपरोक्त भवन की प्रत्येक प्रकोष्ठधारियों को मान्य होकर उस पर बंधनकारक होगी।

(4) यह कि, उपरोक्त भवन के प्रत्येक प्रकोष्ठ का निर्मित एरिया (सुपर बिल्टअप एरिया) संलग्न परिशिष्ट अनुसार होगा इस एरिये में सटर भवन के कामन पैसेज, चढाव इत्यादि का एरिया भी सम्मिलित है।

(5) यह कि, उपरोक्त भवन की सभी मंजिल की आवासीय इकाईयां तथा सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाएं निम्नानुसार होगी:-

क. यह कि, प्रत्येक आवासीय इकाई में विद्युत संयोजन हेतु प्वाइंट उपलब्ध होंगे आवासीय इकाईयों का वर्णन इसके नीचे दिया गया है। आवासीय इकाई के माप में सभी बाहरी दिवालें आदि विभाजक दिवाल सम्मिलित हैं। उपरोक्त प्रत्येक भवन के मुख्य दरवाजे से संबंधित तल के कारीडार में पहुंचा जा सकता है।





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

गवाह मुद्रा :

BRAJESH VARSHIKAR

पुत्र/आत्मज VIPINCHANDRA
JI

पता: 304, 82-83, CHHAYA APP. ,
PADMAVATI COLONY INDORE M.P.

MANOJ SONARTHI

पुत्र/आत्मज GENDALAL JI

पता: 672, KRISHNA BAGH COLONY
INDORE M.P.


की आंच पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गयी है । तारीख 01/03/2016

sunil chaturvedi

उप पंजीयक

उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 2

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

ख. सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाएं:-

- (ए) इस विलेख के पहले पेरा में उल्लेखित भूमि-खण्ड.
(बी) संपूर्ण भवन में निम्नलिखित सुविधाएं हैं:-
(1) भवन की छत पर पानी की एक टंकी :- लागू है।
(2) भवन में आंतरिक एवं बाहरी पानी की टंकी :- लागू है।
(3) भवन में लिफ्ट :- लागू है।
(4) भवन में बोरिंग सुविधा :- लागू है।

यह कि, प्रत्येक प्रकोष्ठ के संबंध सम्मिलित क्षेत्रों तथा सुविधाओं में अविभाजित हित का प्रतिशत किसी भी रूप में घोषणा की तारीख को भारग्रस्त नहीं है।

(6) यह कि, "शिवनेरी साहिल एम्पायर" सहस्वामित्व भवन (कंडोनियम) जिसमें इस विलेख के पांचवी तथा नवे पेरा में वर्णित भवन तथा भूमि-खण्ड सम्मिलित हैं, का प्रशासन मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 में वर्णित उपबंधों के अनुसार होगा।

(7) यह कि, उपर दर्शाये अनुसार प्रत्येक स्वामित्व की एक योजना तैयार की गई है ताकि वे सभी तलों को आवासीय इकाईयों को स्वतंत्र रूप से उपयोग किये जाने योग्य व्यक्तिगत संपत्तियों के रूप में हस्तांतरित तथा रजिस्ट्रीकृत किया जा सकें, क्योंकि उनमें से प्रत्येक भवन का सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधा तक जाने का अपना अलग निर्गम द्वारा है, प्रत्येक आवासीय इकाईयों के स्वामियों का उसकी अपनी संबंधित आवासीय इकाई पर अन्य तथा विशिष्ट अधिकार, हक्क और हित हैं तथा इसके अतिरिक्त सम्मिलित क्षेत्रों एवं सुविधाओं में विनिर्दिष्ट अविभाजित हित है।

(8) यह कि, सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाएं अविभाजित रहेगी और कोई भी स्वामी उनके बंटवारें या विभाजन के लिये कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

(9) यह कि, संलग्न परिशिष्ट में मंजिल अनुसार प्रकोष्ठ का अलग-अलग प्रकोष्ठ क्रमांक अनुसार क्षेत्रफल सुपर बिल्टअप दर्शाया गया है परन्तु मौके पर नती के समय प्रकोष्ठ का सुपर बिल्टअप एरिया जो भी होगा उसके मान से विक्रय पत्र पंजीयन किया जावेगा। जो प्रकोष्ठधारी को स्वीकार होगा।

(10) यह कि, सामान्य तथा या निर्बन्धित सम्मिलित क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित उस आवासीय इकाई से पृथक नहीं किया जावेगा जिससे कि यह अनुलग्न हो और ऐसा हित, भले ही वह किसी भी हस्तांतरण पत्र या अन्य लिखित अभिव्यक्त रूप से उल्लेखित या वर्णित न हो उस इकाई को हस्तांतरित या भारग्रस्त समझा जावेगा।

(11) यह कि, यदि संपत्ति पूर्णतः या सारभूत रूप से क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जावे तो संपत्ति की मरम्मत पूर्ण निर्माण या व्ययन मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 में उपबंधित रूप में किया जावेगा।



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :




इस दस्तावेज के निष्पादक शौनक घोड़के के अंगूठे का निशान गेरे द्वारा/गेरी उपस्थिति में दिनांक 01/03/2016 को लिया गया ।

sunil chaturvedi
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 2



इस दस्तावेज के निष्पादक विपिन कंधारी के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 01/03/2016 को लिया गया ।

sunil chaturvedi
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 2





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

(12) यह कि उपरोक्त प्रकोष्ठ भवन के समस्त स्वामी मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत एक संस्था का गठन करेंगे तथा ऐसी संस्था का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के यहाँ करवायेगे।

(13) यह कि भवन की अंतिम मंजिल की छत घोषणाकर्ता भूमि-स्वामी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की रहेगी, जिस पर घोषणाकर्ता भूमि-स्वामी स्वीकृत मानचित्र अनुसार निर्माण कर सकेंगे। घोषणाकर्ता भूमि-स्वामी चाहेंगे तो किसी भी व्यक्ति या संस्था को उक्त छत लीज पर या सबलीज दे सकेंगे।

(14) यह कि, प्रत्येक प्रकोष्ठ स्वामी को भवन की सुख सुविधाओं के रखरखाव हेतु आपस में मिलकर मेटेनेंस सोसायटी का गठन करना होगा तथा भवन के रख रखाव संबंधी खर्च जैसे, जिम मेटेनेंस, कॉमन पॉवर (इलेक्ट्रीसिटी) बिल, कामन रोड, बोरिंग, गार्डन मेटेनेंस, पार्किंग मेटेनेंस, प्लांट्स ट्रीटमेंट, पावर हाउस मेटेनेंस, कलरिंग एवं रिपेटींग खर्च, पानी की टंकीयों का रखरखाव, सिवरेज लाईन मेटेनेंस, कॉमन एरिया का इनवर्टर मेटेनेंस, लिफ्ट मेटेनेंस, फायरफायटिंग मेटेनेंस, बाहरी दिवारों का कलरिंग मेटेनेंस आदि आनुपातिक रूप से वहन करना होंगे।

(15) यह कि, यह घोषणा पत्र सदर भवन के भू-स्वामियों ने सदर भवन को प्रकोष्ठ धारियों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर यथा युक्ति-युक्त सावधानी पूर्वक तरीके से निष्पादित कर दिया है फिर यदि सदर भवन के संबंध में कोई आवश्यक तथ्य जोड़ने होंगे या विलोपित करना होंगे तो घोषणाकर्ता आवश्यकतानुसार संशोधन लेख या अनुपूरक लेख निष्पादित कर सकेंगे।

(16) यह कि, उक्त भवन में निर्मित होने वाले प्रकोष्ठों के प्रत्येक प्रकोष्ठ स्वामियों को म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।

(17) यह कि, घोषणाकर्ता भूस्वामी क्रमांक 02 से लगाकर 05 ने अपने हिस्से की भूमि के संबंध में पंजीकृत आम मुखत्यार पत्र क्रमांक 4अ/859 दिनांक 06.01.2015 के द्वारा श्री शौनक पिता सुधीर घोड़के, निवासी: एफ.एफ.-26, योजना क्रमांक 54, इन्दौर को आम मुखत्यार नियुक्त किया होकर उक्त आम मुखत्यार पत्र आज भी प्रभावशील है।


यह विलेख घोषणाकर्ता ने अच्छी तरह पढ़कर सोच-समझकर, पूर्ण होश-हवास में निष्पादित कर दिया है ताकि सन्दर्भ रहे व वक्त जरूरत काम आवे। इति।

इन्दौर,

परिशिष्ट

ब्लॉक Aristocrat (डूपलेक्स)

लोअर एवं अपर ग्राउण्ड फ्लोर पार्किंग हेतु आरक्षित :-





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :



[Handwritten signature]



इस दस्तावेज के निष्पादक नरेन्द्र कंधारी के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 01/03/2016 को लिया गया ।

[Handwritten signature]

sunil chaturvedi
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 2



[Handwritten signature]



इस दस्तावेज के निष्पादक श्री विपिन के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 01/03/2016 को लिया गया ।

[Handwritten signature]

sunil chaturvedi
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 2

गवाह मुद्रा :




[Handwritten signature]



BRAJESH VARSHIKAR

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

प्रथम मंजिल

प्रकोष्ठ क्रमांक__सुपर बिल्टअप एरिया_____बिल्टअप एरिया

101 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट

102 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट

तृतीय मंजिल

प्रकोष्ठ क्रमांक__सुपर बिल्टअप एरिया_____बिल्टअप एरिया

301 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट

302 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट

पांचवी मंजिल

प्रकोष्ठ क्रमांक__सुपर बिल्टअप एरिया_____बिल्टअप एरिया

501 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट

502 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट

सातवी मंजिल

प्रकोष्ठ क्रमांक__सुपर बिल्टअप एरिया_____बिल्टअप एरिया

701 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट

702 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट

नौवी मंजिल

प्रकोष्ठ क्रमांक__सुपर बिल्टअप एरिया_____बिल्टअप एरिया


901 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट

902 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट

ब्लॉक Emphasis (डूपलेक्स)

लोअर एवं अपर ग्राउण्ड फ्लोर पार्किंग हेतु आरक्षित :-

प्रथम मंजिल





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

गवाह मुद्रा :




Manoj



MANOJ SONARTHI



MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

प्रकोष्ठ क्रमांकसुपर बिल्टअप एरिया__बिल्टअप एरिया
101 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट
102 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट

तृतीय मंजिल

प्रकोष्ठ क्रमांकसुपर बिल्टअप एरिया__बिल्टअप एरिया
301 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट
302 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट

पांचवी मंजिल

प्रकोष्ठ क्रमांकसुपर बिल्टअप एरिया__बिल्टअप एरिया
501 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट
502 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट

सातवी मंजिल

प्रकोष्ठ क्रमांकसुपर बिल्टअप एरिया__बिल्टअप एरिया
701 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट
702 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट

नौवी मंजिल


प्रकोष्ठ क्रमांकसुपर बिल्टअप एरिया__बिल्टअप एरिया
901 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट
902 (डूपलेक्स)___4150 वर्गफीट___2964 वर्गफीट

ब्लॉक Eminent

लोअर एवं अपर ग्राउण्ड फ्लोर पार्किंग हेतु आरक्षित :-

प्रथम मंजिल

प्रकोष्ठ क्रमांक__सुपर बिल्टअप एरिया__ बिल्टअप एरिया
101___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
102___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
103___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
104___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___







रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क मुद्रा:

स्टाम्प शुल्क	null
नगरीय शुल्क	null
जनपद पंचायत शुल्क	null
उपकर	null
अतिरिक्त शुल्क	0
चुकाया गया स्टाम्प शुल्क	null

Sunil Chaturvedi

sunil chaturvedi
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 2





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

105___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
106___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
107___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
108___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___

द्वितीय मंजिल

प्रकोष्ठ क्रमांक सुपर बिल्टअप एरिया बिल्टअप एरिया

201___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
202___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
203___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
204___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
205___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
206___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
207___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
208___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___

तृतीय मंजिल


प्रकोष्ठ क्रमांक सुपर बिल्टअप एरिया बिल्टअप एरिया

301___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
302___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
303___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
304___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
305___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
306___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
307___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
308___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___

चतुर्थ मंजिल

प्रकोष्ठ क्रमांक सुपर बिल्टअप एरिया बिल्टअप एरिया

401___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
402___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
403___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
404___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
405___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___







Faint, illegible text or markings in the upper right quadrant.

Faint, illegible text or markings in the middle right quadrant.

Vertical text or markings on the left side.



MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

406___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
407___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
408___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___

पांचवी मंजिल

प्रकोष्ठ क्रमांक सुपर बिल्टअप एरिया बिल्टअप एरिया

501___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
502___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
503___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
504___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
505___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
506___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
507___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
508___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___

छठी मंजिल


प्रकोष्ठ क्रमांक सुपर बिल्टअप एरिया बिल्टअप एरिया

601___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
602___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
603___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
604___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
605___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
606___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
607___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
608___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___


सातवी मंजिल

प्रकोष्ठ क्रमांक सुपर बिल्टअप एरिया बिल्टअप एरिया

701___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
702___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
703___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
704___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
705___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
706___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
707___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___
708___2150 वर्गफीट___1536 वर्गफीट___



MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

आठवीं मंजिल

प्रकोष्ठ क्रमांक सुपर बिल्टअप एरिया बिल्टअप एरिया

801	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
802	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
803	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
804	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
805	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
806	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
807	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
808	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट

नौवीं मंजिल



प्रकोष्ठ क्रमांक सुपर बिल्टअप एरिया बिल्टअप एरिया

901	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
902	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
903	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
904	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
905	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
906	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
907	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
908	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट

दसवीं मंजिल

प्रकोष्ठ क्रमांक सुपर बिल्टअप एरिया बिल्टअप एरिया



1001	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
1002	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
1003	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
1004	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
1005	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
1006	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
1007	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट
1008	2150 वर्गफीट	1536 वर्गफीट



7 4



MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

मैं/हम इस दस्तावेज के सभी पक्षों के विवरणों एवं प्रविष्टियों को, दस्तावेज के आईडी 1378609 तथा ई-स्टाम्प कोड 01011701032016005285 सहित, एनए द्वारा अभिप्रमाणित एवं पुष्टि करते हैं, तथा मेरे/अपने निम्नलिखित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते हैं।

प्रथम पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर नाम तथा पिता का नाम:

[Signature]

श्री शंकर टोडके पिता श्री सुशील टोडके

द्वितीय पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर नाम तथा पिता का नाम:

For J. K. BUILDGON

PARTNER

(निज पितृ नरेश कुंभारी स्वयं एडभागीयर सीहोतीपत से)


अन्य पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर नाम तथा पिता का नाम:

[Signature]
नरेश पिता रामचंद्र श्री केंदारी

गवाह 1 का नाम पं. राजेश पिता श्रीमणिचंदन पं. वि. गवाह 2 का नाम
पता 204, 82-83 आंध्रो अपार्टमेंट-2, निवासी श्रीमणिचंदन
हस्ताक्षर *[Signature]* 32412 हस्ताक्षर *[Signature]*
आईडी का टाईप तथा नम्बर आंध्रो का टाईप तथा नम्बर

आंध्रो आईडी नं 8316 2335 4814

महेश कोमारी
कृतपुष्पा 504
MUMU
(फोन नं - 6686 278) 3817





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीकरण मुद्रा :

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रानिक पंजीयन दिनांक 01/03/2016 को क्रमांक
MP179132016A1116424 दे कर किया गया है। जिसमें 28 पृष्ठ समाविष्ट हैं

स्टाम्प शुल्क	10000
पंजीयन शुल्क	1000
प्रतिलिपि शुल्क	0
अधिक	0
योग	1000

sunil chaturvedi
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 2

